an>

Title: Regarding formulating of rules for opening of coaching institutes

श्री परेश रावल (अहमदाबाद-पूर्व) : मैडम स्पीकर, आजकल हमारे देश के अंदर काफी सारी बातें ऑर्गनाइज़ होने लगी हैं। ऑर्गेनाइज़ शोर भी किया जाता है। ऑर्गेनाइज़ माफिया भी है। एजुकेशन का सैक्टर भी ऑर्गेनाइज़ होने लगा है। मेरा सीधा इशारा कोचिंग क्लासेज़ की ओर है। मैं समझता हूँ कि जो प्राइव स्कूल में एडमिशन लेते हैं, पहले तो डोनेशन भरना पड़ता है, कैपिटेशन फी वगैरह भरनी पड़ती है। ये सरकारी स्कूल में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अच्छी तरह जानते हैं कि सरकारी स्कूल का स्टैण्डर्ड कैसा है। वहां जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं यह समझता हूँ कि अगर सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाने लगे, सरकारी अस्पताल में जाने लगें, सरकारी ट्रांसपोर्ट यूज़ करने लगें तो उसका स्टैण्डर्ड ऊपर उठ सकता है। लेकिन यह कब होगा, भगवान तो छोड़िए रजनीकांत भी नहीं जानते होंगे। मैं यह समझता हूँ इन सारी चीजों से बचने के लिए प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद भी उनको यह डर रहता है कि अगर मेरा बच्चा कोचिंग क्लास के अंदर नहीं गया तो he will not be able to excel. तो उसे कोचिंग क्लास में भर्ती होना पड़ता है। इन कोचिंग क्लास के अंदर वही टीचर्स आते हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। यह एक पूरा नेक्सस चलता है। कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ कोचिंग क्लासेज ऐसे भी हैं, जिनका सीधा कनेक्शन उनसे हैं, जो एग्जामिनेशन पेपर्स सेट करते हैं। वहां से पेपर लीक होता है, एग्जामिनेशन के मार्क वगैरह मैनुपुलेट किये जाते हैं। मैं यह समझता हूं कि हमारा पूरा कल्चर धीरे-धीरे सेकेंड ओपिनियन कल्चर होने लगा है कि अगर हम यहां पर नहीं गए, उसके पास नहीं गए तो हमारा बच्चा एक्सेल नहीं कर पाएगा। वहां चले जाते हैं तो यह भी बोझ माँ-बाप के ऊपर, मिडिल क्लास के ऊपर आता है।

दूसरी बात यह है कि ये जितने भी कोचिंग क्लासेज हैं, किसी को कोचिंग क्लास खोलने के लिए कोई परमीशन की जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, वे कहीं भी खोल देते हैं। अगर स्कूल खोलने के लिए परमीशन ली जाती है, उसी तरह से कोचिंग क्लासेज के लिए भी रूल्स बनाने चाहिए, कोई कानून बनाना चाहिए। जिसके मन में आता है, वह कोचिंग क्लास खोलकर बैठ जाता है और यह पूरा कारोबार चलता रहता है। मुझे डर लगता है कि ये आर्गनाइज माफिया भी नहीं हैं, यह एक एजुकेशन टेररिज्म है। जिस तरह गवर्नमेंट के पास यह सूची नहीं है कि कौन टेररिस्ट है, उसी तरह गवर्नमेंट के पास यह सूची भी नहीं है कि कितने कोचिंग क्लासेज हैं। उसके पास कोई लिस्ट ही नहीं है। मैं यह समझता हूं कि गवर्नमेंट को इसके बारे में कोई कदम उठाना चाहिए, वरना आने वाली पूरी पीढ़ी की एजुकेशन की हार्ड डिस्क पूरी तरह से करप्ट हो जाएगी। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री रामसिंह राठवा, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री देवजी एम. पटेल, श्री शिवकुमार उदासि, डॉ. संजय जायसवाल, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री नारणभाई काछड़िया, श्री प्रहलाद जोशी, श्री विनोद कुमार सोनकर, श्री सतीश कुमार गौतम, श्रीमती किरण खेर, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्रीमती पूनम महाजन, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्रीमती अंजू बाला, श्रीमती संतोष अहलावत, श्रीमती रीती पाठक, श्री नाना पटोले, कुमारी शोभा कारान्दलाजे, श्री राजेश रंजन, श्री निशिकान्त दुबे और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री परेश रावल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।